[भारत के राजपत्र के, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 9 जून, 2016.

का.आ...............(अ) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा, उत्तर प्रदेश राज्य ऐड्स नियंत्रण सोसाइटी, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित एक निकाय, को, उक्त सोसाइटी को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है, अर्थात:-

(क) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, भारत सरकार से सहायता अनुदान के रुप में प्राप्त राशि और बैंकों में जमा राशि पर प्राप्त ब्याज ;

2. इस अधिसूचना को 1.6.2011 से 31.03.2013 तक की अवधि के लिए लागू किया गया माना जाएगा और यह वित्तीय वर्ष 2013-14, 2014-15 और 2015-16 के लिए भी लागू होगी।

3. यह अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रभावी होगी; अर्थात्:-

(क) उत्तर प्रदेश राज्य ऐड्स नियंत्रण सोसाइटी कोई भी वाणिज्यिक कार्यकलाप नहीं करती है;

(ख) उत्तर प्रदेश ऐड्स सोसाइटी के कार्यकलाप और विनिर्दिष्ट आय का स्वरुप संपूर्ण वित्तीय वर्ष में अपरिवर्तनीय रहते हैं; और

(ग) उत्तर प्रदेश ऐड्स सोसाइटी अपनी आय की विवरणी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (4ग) के खंड (छ) के उपबंध के अनुसार दायर करती है।

4. उक्त सोसाइटी को प्राप्त होने वाली अनुदानों की राशि को मौजूदा प्रचलित नियमों और विनियमों के अनुसार प्राप्त किया जाएगा और उपयोग में लाया जाएगा।

[अधिसूचना संख्या..41../2016, फा.सं. 196 / 87 / 2012-आयकर नि-I]

दीपशिखा

(दीपशिखा शर्मा)
निदेशक, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
रिंग रोड, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,
(राजौरी गार्डन के समीप), नई दिल्ली।